<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

टाईटल अपील संख्या 23 / 1993

दिनांक 23.06.2025

आवेदक की ओर से हाजिरी दी गयी। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.06.2025 जो शपथ पत्र से समर्थित है, विद्वान अधिवक्ता को पूर्णरूपेण सुना गया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदन में विपक्षी संख्या 6 परिलाल राय, विपक्षी संख्या 8 सोनिया देवी तथा विपक्षी संख्या 3(1) रामप्रवेश राय की मृत्यु क्रमशः दिनांक 29.04.2025, 02.05.2025 एवं 02.05.2025 को होने के संबंध में चर्चा किया गया है और उनके नाम अपील वाद से विलोपित करने की प्रार्थना की गयी है। यह भी चर्चा की गयी है परिलाल राय के वारिसान 4 से 4f पूर्व से ही विपक्षी है। विपक्षी संख्या सोनिया देवी के दो पुत्र अशोक राय एवं अर्जुन राय है, जिन्हें प्रतिस्थापित करने की आवश्यक्ता है तथा विपक्षी संख्या 3(1) रामप्रवेश राय अपने पीछे सोनिया देवी और चार पुत्रों विकास राय, विनित राय, विक्रम राय एवं विपिन राय को छोड़ गये है। अतः चूकि आवेदन समय सीमा के अंदर दाखिल किया गया है। अतः इसे न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

जहां तक विपक्षी संख्या 3d रामप्रसाद राय के विलोपित करने का प्रश्न है, आवेदन में उसकी मृत्यु की तिथि दर्शायी नहीं गयी है। अतः इस संबंध में आवेदन स्वीकृत करने योग्य नहीं है। आम तौर पर मृत्यु होने के 90 दिनों के अंदर अनुक्षेद 120 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दाखिल करना होता है किन्तु अपीलकर्ता द्वारा रामप्रवेश राय की मृत्यु की तिथि दर्शायी नहीं गयी है और प्रार्थना वाले खण्ड में उसके विधिक वारिसानों का नाम दर्शा दिया गया है। जो कि जानबूझकर किया गया लगता है। अतः इस आचरण के कारण अपीलकर्ता पर रूपये 500 / का खर्च डी0एल0एस0ए0 में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि खर्चा राशि जमा करने के उपरांत उपरोक्त आदेश के आलोक में मृत प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करें और संबंधित विधिक वारिसानों का नाम मुख्य पृष्ठ में प्रतिस्थापित करें। आदेश के अनुपालन होने के उपरांत अपीलकर्ता आज और दिनांक 16.06.2025 में पारित आदेश के अनुपालन करते हुए विपक्षीगणों के संबंध में नजारत एवं निबंधित डाक के माध्यम से सम्मन की कार्रवाई करने हेतु आपेक्ष दाखिल करेंगे। जिसे कार्यालय सम्यक जांचोपरांत तत्काल निर्गत करेंगे।

दिनांक 05.07.2025 को अग्रतर कार्रवाई हेतु।

(गौरव कमल)
लेखापित
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय

Web Copy - Not Official